

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) विविध-03/2005 (Part-I)/राँची, दिनांक :

आदेश

श्री विजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरुद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं निलंबनादेश का अनुपालन नहीं किये जाने के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प 973 दिनांक- 19.03.2004 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 1930 के नियम-55 अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया था, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री शर्मा जाँच कार्य में कभी उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा बचाव-बयान ही समर्पित किया गया जबकि उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु कई पत्र भेजे गये थे। इसी बीच राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप श्री शर्मा का कैडर झारखण्ड होने के कारण मामले पर निर्णय बिहार सरकार द्वारा नहीं लिया जा सका एवं कार्रवाई हेतु संबंधित अभिलेख झारखण्ड को प्राप्त कराया गया।

2. मामले के समीक्षोपरान्त श्री शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरुद्ध उपरोक्त सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-16 एवं 17 के अन्तर्गत सम्पूरित करते हुए विभागीय संकल्प - 6082 दिनांक- 27.11.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

3. श्री शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरुद्ध निम्न आरोप गठित किया गया :-

" विभागीय आदेश की अवहेलना, कदाचार, अनुशासनहीनता के साथ-साथ दिनांक- 01.10.1996 से 03.02.2005, दिनांक- 05.02.2005 से दिनांक- 21.07.2005 तथा 23.07.2005 से अब तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना एवं स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करते हुए झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-76 का उल्लंघन करना।"

4. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्ष दिया गया कि श्री विजय कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता पर विभागीय संकल्प - 6082 दिनांक- 27.11.2020 द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि होती है, साथ ही सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3 (i), (ii) एवं नियम-22 का उल्लंघन भी प्रमाणित होता है।

5. श्री शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक- 4254 दिनांक- 02.09.2021 द्वारा बचाव-बयान की माँग की गई। श्री शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त बचाव-बयान की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। समीक्षा में पाया गया कि संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित होना पाया गया है, साथ ही आरोपी के द्वारा अपने बचाव-बयान में कोई नया तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध दिनांक- 01.10.1996 से दिनांक- 03.02.2005 एवं दिनांक- 05.02.2005 से दिनांक- 21.07.2005 तथा दिनांक- 23.07.2005 से अबतक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने का आरोप प्रमाणित है, जो झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-76 का उल्लंघन है।

P.T.O

6. सम्यक् समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोप के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2016 के भाग-V के नियम-14 (xi) के प्रावधान के तहत श्री विजय कुमार शर्मा, कनीय अभियंता को 'सेवा से बर्खास्त' किये जाने का दण्ड प्रस्ताव के साथ विभागीय पत्रांक- 322 दिनांक- 21.01.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

7. श्री शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में विभिन्न चिकित्सकों द्वारा जारी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है जबकि इन्हें ईलाज का पूर्जा, दवा का पूर्जा एवं जाँच रिपोर्ट इत्यादि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था, जो श्री शर्मा द्वारा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इतनी लंबी अवधि तक लगातार बिना अवकाश स्वीकृति के कार्य से अनुपस्थित रहे हैं। अवकाश स्वीकृति हेतु श्री शर्मा द्वारा भेजे जाने संबंधी आवेदन पत्र मुख्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है जैसा कि जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है। अतः श्री शर्मा का बीमार रहने एवं अवकाश हेतु आवेदन भेजे जाने संबंधी कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध दिनांक- 01.10.1996 से 03.02.2005 एवं 05.02.2005 से 21.07.2005 तथा 23.07.2005 से अब तक लगातार कार्य से अनुपस्थित होने का आरोप प्रमाणित हो रहा है जो झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-76 का उल्लंघन है।

8. सम्यक् समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए श्री विजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता को निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

(क) सेवा से बर्खास्त

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(प्रेम कुमार राय)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3243 राँची/दिनांक 16/06/22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक- 111 दिनांक- 16.02.2005 के क्रम में /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल सं०-01, बेतिया/ श्री विजय कुमार शर्मा, कनीय अभियंता (ID- J 9062), मो०-भाटन टोला, नि०-श्री दुर्गा मंदिर मण्डी, जिला- शाहजहाँपुर (उ०प्र०)/श्री विजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, मो०-पुरानी बाजार, पोस्ट-भिनगा, जिला- बहराईच, श्रावस्ती (उ०प्र०)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/06/22

(प्रेम कुमार राय)

सरकार के अवर सचिव